संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
टी.टी.नगर स्टेडियम, भोपाल

क्रमांक 6873 /अनुदान/2026 भोपाल,दिनांक 28/10/2026

प्रति,

1. अध्यक्ष/महासचिव
 म0प्र0 ऑलम्पिक संघ, म.प्र.।
2. अध्यक्ष/महासचिव
 समस्त राज्य स्तरीय खेल संघ, म.प्र.।
3. अध्यक्ष/महासचिव, म.प्र.पैरालम्पिक कमेटी, म.प्र.।

विषय :– राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता कर पदक अर्जित करने पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि तथा खेल संघ/संस्था को खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः– खेल और युवा कल्याण विभाग का राजपत्र क्र. 114, दिनांक 08.03.2019

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित राजपत्र की संलग्न छायाप्रति कृपया अवलोकन करे, जिसके अनुसार खिलाड़ियों व खेल संघ/संस्था को प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

उपरोक्त संदर्भ में यह देखने में आ रहा है कि खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन के उपरांत खिलाड़ी/खेल संघ द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि व्यतित हो जाने के पश्चात् प्रोत्साहन राशि/पुरस्कार राशि हेतु आवेदन संचालनालय में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा करने से विचाराधीन वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से अधिक राशि स्वीकृत होने से विभाग का वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होता है।

वित्त विभाग म.प्र.शासन द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए आई.एफ.एम.आई.एस. के द्वारा बजट का प्रबंधन किया जाता है, जिसके अनुसार वार्षिक बजट को 04 माहों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक माह में वार्षिक बजट का 25 प्रतिशत राशि के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ही बजट में प्रावधानित राशि का उपयोग करना आवश्यक होता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक/प्रतिभागिता के तथा खेल संघ/संस्था अपना आवेदन आयोजन के पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक जिला कार्यालय/संचालनालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2/– प्रोत्साहन एवं पुरस्कार राशि हेतु खिलाड़ियों को अपने आवेदन के साथ निम्नानुसार अभिलेखों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

1. प्रतियोगिता के खेल प्रमाण–पत्र एवं जिस विधा (भार वर्ग, आयु वर्ग, दूरी, डबल, फॉर, मिक्स, टीम आदि) में पदक/प्रतिभागिता की गई है, उसकी स्कोरशीट/ड्रा–शीट/हीटस् (Heat)/फिक्चरस की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न की जावें/टीमों की जानकारी नहीं होने से आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
2. आधार कार्ड।

3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।

4. E-Kyc/ Direct Benefit Transfer (DBT) एवं बैंक खाते में पुरस्कार राशि हेतु लिमिट Activate हो। प्रायः यह देखने में आया है कि खिलाड़ी का माइनर खाता (Minor Account) होने से प्रोत्साहन राशि खिलाड़ी के बैंक खाते में जमा नहीं हो पाती है।
5. समग्र आई.डी ।
6. खिलाड़ी की बैंक पास बुक के प्रथम पेज की छायाप्रति, जिसमें खिलाड़ी का छायाचित्र, खाता संख्या एवं आई.एफ.आई.एस.सी कोड सुस्पष्ट अंकित होना चाहिए। यदि आपका बैंक किसी अन्य बैंक में मर्ज हुई है, तो नवीन बैंक का आई.एफ.एस.सी.कोड की जानकारी भी दी जावे।
7. खिलाड़ी अपना बैंक खाते से आधार नंबर लिंक अवश्य करावे।

अतएव उपरोक्त प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु . निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता के लिए संबंधित खेल संघ/संस्था के पदाधिकारी को भी निर्देशित करने का अनुरोध है।

संचालक 28/10/26
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6874 /अनुदान/2026 भोपाल, दिनांक 28/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, म.प्र. राज्य खेल अकादमी, संचालनालय, भोपाल।

–की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक 28/10/26
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश